

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 70/2024

निर्णय दिनांक 03.03.2025

जीसीएमएस ऑनलाईन नंबर 2024/131

1. गणपतराम 2. मुल्तान पुत्रगण रेवन्ताराम जाति जाट निवारीगण ठुकरियारार तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।  
—प्रार्थीगण—

बनाम

1. पृथ्वीसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवारी ठुकरियारार तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।  
2. स्टेट जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ  
—अप्रार्थीगण—

उपरिस्थिति:-

1. श्री राजूराम वाना अभिभाषक प्रार्थीगण  
2. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी संख्या 1 के नाम से खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1764/1286 तादादी 0.5605 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 2 के नाम से खसरा नम्बर 1357/1280 तादादी 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1766/1356 तादादी 0.0905 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से खसरा नम्बर 1787/1281 तादादी 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 631 तादादी 3.7000 हैक्टेयर रोही मौजा ठुकरियारार में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से सन्वत् 2063-66 की जमावन्दी में खसरा नम्बर 621 तादादी 1.2100 हैक्टेयर दर्ज थी जिसमें से अप्रार्थी संख्या 1 ने 0.2600 हैक्टेयर एवं 0.5700 हैक्टेयर कुल 0.8300 हैक्टेयर भूमि को विक्रय कर दी उक्त विक्रित भूमि में से 0.5700 हैक्टेयर को प्रार्थी संख्या 1 ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 03.02.2021 को एवं 0.2600 हैक्टेयर को प्रार्थी संख्या 2 ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18.11.2015 को खरीद कर ली एवं मौके पर कब्जा विक्रेतागण ने प्रार्थीगण को सम्भला दिया गया। मौके के अनुसार सड़क के उत्तरी तरफ 0.8300 हैक्टेयर पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त एवं सड़क के दक्षिणी तरफ 4.0800 हैक्टेयर पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में सड़क के उत्तरी तरफ 1.2100 हैक्टेयर एवं सड़क के दक्षिणी तरफ 3.7000 हैक्टेयर दर्ज है मौके पर सड़क की तरमीम मौके से दक्षिण में होने के कारण राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 621 की तादादी 1.2100 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 631 की तादादी 3.7000 हैक्टेयर कर दी जबकि मौके पर खसरा नम्बर 621 की तादादी 0.8300 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 631 की तादादी 4.0800 हैक्टेयर है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सड़क से उत्तरी तरफ कायम 0.8300 हैक्टेयर भूमि को विक्रय कर दी जिसको वर्तमान में प्रार्थीगण ने खरीद कर ली एवं सड़क के दक्षिणी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 की 4.0800 हैक्टेयर भूमि मौके पर कायम है। प्रार्थीगण द्वारा 0.8300 हैक्टेयर खरीदी गई भूमि की तरमीम दर्ज होने के बाद अप्रार्थी के नाम से खसरा नम्बर 1287/1281 तादादी 0.3800 हैक्टेयर भूमि की तरमीम प्रार्थीगण के खसरा नो के उत्तरी तरफ कर दी जबकि मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि सड़क के दक्षिणी तरफ कायम है। अप्रार्थी संख्या 1 मौके के विपरीत दर्ज राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर प्रार्थीगण को मौके से वेदखल करने पर उतारू है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त सड़क के दक्षिणी तरफ कायम है कब्जा काश्त के अनुसार खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)



1287/1281 तादादी 0.3800 हैक्टैयर को खसरा नम्बर 631 तादादी 3.7000 हैक्टैयर में समायोजित किया जाकर कब्जा काश्त एवं मौके कब्जे के अनुसार खसरा नम्बर 631 तादादी 4.0800 हैक्टैयर की जानी आवश्यक हो गयी है। अप्रार्थी संख्या 1 का उत्तरी तरफ 0.8300 हैक्टैयर भूमि कायम थी। जिसको अप्रार्थी ने विक्रय कर दी थी। जिसको प्रार्थीगण ने खरीद कर ली है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ में रूपान्तरण करवायी गई है। मौके पर खसरा नम्बर 1287/1281 तादादी 0.3800 हैक्टैयर की भूमि मौके पर सड़क की दक्षिणी तरफ होने पर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1764/1286 तादादी 0.5605 हैक्टैयर एवं खसरा नम्बर 1357/1280 तादादी 0.1600 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1766/1356 तादादी 0.0905 हैक्टैयर की तरमीम सड़क से उत्तरी तरफ एवं खसरा नम्बर 1287/1281 तादादी 0.3800 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 631 तादादी 3.7000 हैक्टैयर की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादगत खेतों में कायम सड़क की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत करने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 621 तादादी 1.2100 हैक्टैयर एवं खसरा नम्बर 631 तादादी 3.7000 हैक्टैयर कायम हुए हैं जबकि मौके पर खसरा नम्बर 121 तादादी 0.8300 हैक्टैयर एवं खसरा नम्बर 631 तादादी 4.0800 हैक्टैयर कायम है जिसके अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त सड़क के उत्तरी तरफ एवं अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त सड़क के दक्षिणी तरफ कायम है कब्जा काश्त के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 1287/1281 तादादी 0.3800 हैक्टैयर की तरमीम खसरा नम्बर 631 तादादी 3.7000 हैक्टैयर के साथ करवाना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 जो बहुत ही होशियार व्यक्ति है जो राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई गलत तरमीम का फायदा उठाकर प्रार्थीगण को उनके पुराने कब्जे काश्त से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को कई बार ऐलानिया धमकिया दी है कि तहसीलदार एवं पटवारी से हम आपको यहा से बेदखल करवाकर इस जमीन पर कब्जा करके ही रहेंगे। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 के खेतों के मध्य सड़क कायम है प्रार्थीगण का कब्जा मौके पर कायम है पुरानी सीव कायम है। लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 प्रार्थीगण के खेतों की सीव को तोड़ देने की कई बार नाकाम कोशिश की। अप्रार्थीगण संख्या 1 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खेतों के मध्य कायम पुरानी सीव एवं तार पट्टियों को तोड़कर जबरदस्ती प्रार्थीगण के खेतों में कब्जा करने की फिराक में है। तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खेतों के मध्य कायम सीमा को मिटाकर प्रार्थीगण के खेतों में कब्जा करना चाहते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 बहुत ही खुंखार एवं झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है अप्रार्थी संख्या 1 राजनीतिक पहुच वाले व्यक्ति है। दिनांक 26.03.2024 को अप्रार्थी प्रार्थी के उक्त खेतों पर गये ओर कहा कि हमारी जमीन आपके खेत में निकलती है इसलिए उक्त भूमि पर बनी हुई सीव को तोड़ेंगे। तो प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि उक्त सीव तो वर्षों पुरानी है। तार पट्टियो लगी हुई है। लेकिन अप्रार्थी प्रार्थी की सीव को तोड़कर प्रार्थी के खसरो की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रार्थी अप्रार्थी से मुकाबला करने में असमर्थ है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को बार बार ऐलानिया धमकिया दे रहे हैं कि हमारे पास राजनीतिक दबाब है हम पटवारी एवं तहसीलदार से तुम्हारे खेतों की सीव हटवाकर तुम्हारी जमीन पर कब्जा करके ही रहेंगे। तुम्से जो होता है वो कर लेना। प्रार्थी को अप्रार्थी के द्वारा दी गई धमकी की दिनांक से वाद हेतु हासिल है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के खेतों के मध्य पुरानी सीव कायम है अप्रार्थी उक्त सीव को नाजायज रूप से तोड़कर निशानदेही को मिटाकर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा कराने की फिराक में है। अप्रार्थी जबरदस्ती सीव को तोड़कर

3

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीद्वारागढ (दिकानेर)



प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। जिनको जरिये रथाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को दिनांक 26.03.2024 को गांव के मौजिज व्यक्तियों से आम सहमति से विवाद को सुलझाने हेतु निवेदन किया और कहा कि हम उक्त भूमि का विवाद आपसी सहमति एवं गांव के मौजिज व्यक्तियों से करवा लेते हैं तब अप्रार्थी ने प्रार्थी की बात को मानने से इनकार कर दिया अप्रार्थी द्वारा दिनांक 26.03.2024 इनकार से प्रार्थी को अप्रार्थी के विरुद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है। अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे एवं उपयोग उपभोग से इनकार कर रहे हैं प्रार्थी को अपने खेत से बेदखल करने पर एवं प्रार्थी के खेत की पुरानी सीमा को तोड़कर कब्जा कायम करने पर आमन्दा हो रहे हैं तथा प्रार्थी का कब्जा छुड़ाने की धमकिया दे रहे हैं इसलिए प्रार्थी द्वारा अपने हितों एवं भूमि की रक्षार्थ अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी प्रार्थी के खेतों में जबरदस्ती कब्जा करने एवं नयी सीमा कायम करने की फिराक व कोशिश में है। अगर अप्रार्थी अपने गलत मकसद में सफल हो गये तो प्रार्थी को भारी अपूरणीय कारित क्षति होगी व प्रार्थी अपने हक से वंचित हो जायेंगे। प्रार्थी का प्रथमदृष्ट्या मामला खातेदारी टाईटल व कब्जा है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी प्रार्थी को उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमदा हो रहे हैं व प्रार्थी को उसके हिस्से में प्रार्थी का खेत हडप करने की धमकिया दे रहे हैं, अगर अप्रार्थी प्रार्थी को वादगत रकबे से बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला अहम नुकसान होगा, ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को वादगत भूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 1764/1286 तादादी 0.5605 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1357/1280 तादादी 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1766/1356 तादादी 0.0905 हैक्टेयर रोही ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थी के कब्जे काश्त में प्रवेश न करे नयी सीमा कायम नही करे कब्जा पुख्ता नही करें जिससे कि प्रार्थी के हक-अधिकारों पर कुठाराघात होता हो तथा ऐसा कोई कृत्य या अकृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो तथा दावे के निस्तारण तक वादगत रकबा के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01- जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी व प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 पेश किया गया। जिसकी एक प्रति अप्रार्थी अधिवक्ता को दिलवाई गई। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी व प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 पेश किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी व प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 एवं 212 आरीटीए में बहस का निवेदन किया गया। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रकट की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी पर अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 1764/1286 तादादी 0.5605 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 के नाम से खसरा नम्बर 1357/1280 तादादी 0.1600

3

उपजम्ह अधिवक्ता  
श्रीडूंगरगढ़ (मैकाने)




हैक्टियर, खसरा नम्बर 1766/1356 तादादी 0.0905 हैक्टियर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खसरा नम्बर 1787/1281 तादादी 0.3800 हैक्टियर, खसरा नम्बर 631 तादादी 3.7000 हैक्टियर रोही मौजा तुकरियारार वादीगण ने वादगत खसरानो के तरमीम दुरुस्ती का दावा दायर कर रखा है। वादगत खेतो के सम्बन्ध में तरमीम दुरुस्ती का मौके कब्जे के अनुसार किये जाने का पेश किया है वादगत खेतो को मौके कब्जे पर मौके पर वादीगण का कब्जा सड़क के उत्तरी तरफ कायम है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त सड़क के दक्षिणी तरफ कायम है। वादी के द्वारा दावा प्रस्तुत वादगत भूमि में वादीगण का कब्जा काश्त सड़क के उत्तरी तरफ एवं प्रतिवादी संख्या 1 का सड़क के दक्षिणी तरफ कब्जा काश्त कायम है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खेतो के मध्य खसरा नम्बर 625 तादादी 11.5700 हैक्टियर रोही तुकरियारार स्थित है जो गै.मु सड़क है जो श्रीडूंगरगढ़ से सरदाशहर सड़क स्थित है जिसकी भी तरमीम मौके कब्जे के अनुसार दुरुस्त की जानी है जिसके लिए खसरा नम्बर 625 के नाम दर्ज सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार बनाया जाना है। वादीगण एवं प्रतिवादी के खेतो का रिकार्ड दुरुस्त करने का दावा है जिसमें मौके के अनुसार सड़क की तरमीम भी गलत है जिसको सही करने के लिए प्रभावित सड़क के खातेदार पी.डब्ल्यू.डी विभाग के हित निहित है जिसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। सार्वजनिक निर्माण विभाग का खसरा वादगत भूमि के मध्य में स्थित है जिससे सार्वजनिक निर्माण विभाग का हक निहित होने से सार्वजनिक निर्माण विभाग को उक्त दावा में पक्षकार संयोजित किया जाना है एवं उपरोक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी पर अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी ने गलत आधारों पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वर्णित खसरा का राजस्व रिकार्ड व नक्शा पूर्णतया दुरुस्त है। खसरा नम्बर 625 तादादी 11.5700 हैक्टियर रोही तुकरियारार केवल प्रार्थी के खेत से सटाकर नहीं है। खसरा नम्बर 625 गै. मु. सड़क है, इसकी जानकारी तो प्रार्थी को अस्थाई प्रार्थना पत्र दायरी के समय से भी थी, उस वक्त प्रार्थी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार क्यों नहीं बनाया। प्रार्थी ने सड़क के चिपती अपनी खातेदारी जमीन का भूरूपान्तरण भी करवा लिया, अगर नक्शा में कमी होती तो भूरूपान्तरण के वक्त ही प्रार्थी नक्शा दुरुस्त करवाने की कार्यवाही करता या भूरूपान्तरण के समय पटवारी तहसीलदार द्वारा आपत्ति की जाती कि तरमीम दुरुस्त नहीं है, इसलिये मौका स्थिति व तरमीम से मेल नहीं खाती है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, दूसरा तात्पर्य यही होता है कि वर्णित खसरा की तरमीम सही व दुरुस्त है। प्रार्थी के मुताबिक जब प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण व अप्रार्थी के खेतो का है तो PWD किस तरह उचित व आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 625 बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहा है, इसलिये PWD कतई उचित व आवश्यक पक्षकार नहीं है। सड़क प्रार्थी के खसरा भूमि के मध्य में स्थित नहीं है। प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र जिन खसरान के बाबत है। उन खसरान की जमीन PWD के नाम नहीं है, इसलिये PWD का हस्तगत प्रार्थना पत्र कार्यवाही से कोई हक निहित नहीं है। वादगत खसरान से PWD का कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये पी.डब्ल्यू.डी कतई उचित व आवश्यक पक्षकार नहीं है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

3


उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ़ (श्रीकानेर)



प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 पर अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 1764/1286 तादादी 0.5605 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 2 के नाम से खसरा नम्बर 1357/1280 तादादी 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1766/1356 तादादी 0.0905 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से खसरा नम्बर 1787/1281 तादादी 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 631 तादादी 3.7000 हैक्टेयर रोही मौजा दुकरियासर प्रार्थीगण ने वादगत खसरानो के तरमीम दुरुस्ती का दावा दायर कर रखा है। वादगत खेतों के सम्बन्ध में तरमीम दुरुस्ती का मौके कब्जे के अनुसार किये जाने का पेश किया है वादगत खेतों को मौके कब्जे पर मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा सड़क के उत्तरी तरफ कायम है एवं अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त सड़क के दक्षिणी तरफ कायम है। प्रार्थी के द्वारा दावा प्रस्तुत वादगत भूमि में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त सड़क के उत्तरी तरफ एवं अप्रार्थी संख्या 1 का सड़क के दक्षिणी तरफ कब्जा काश्त कायम है। वादगत खसरानो की तरमीम दुरुस्ती मौके पर कायम भूमि के अनुसार होने है जिसके लिए मौके पर सड़क उत्तरी तरफ कितनी भूमि है एवं सड़क से दक्षिणी तरफ कितनी भूमि है के सम्बन्ध में तहसीलदार से वादगत भूमि का परीक्षण निरीक्षण करवाया जाकर मौके की रिपोर्ट ली जानी है जिससे मौके के सम्बन्ध में सड़क के उत्तरी तरफ एवं दक्षिणी तरफ का रकबा ज्ञात हो सके। प्रार्थी के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी कर यथास्थिति बनाये रखने का अन्तरिम आदेश जारी किया गया है जिसमें सुनवाई करने से पूर्व मौके की वस्तुस्थिति मंगवाई जानी आवश्यक है जिससे न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति आ सके। अप्रार्थी द्वारा मौके पर परिवर्तन किये जाने मौके की यथास्थिति में परिवर्तन हो जायेगा एवं न्यायालय द्वारा सही न्याय निर्णय नहीं हो सकेगा। वर्तमान मौका स्थिति मंगवाये जाना न्यायहित में है जिससे मौके पर कायम सीमाओं एवं राजस्व नक्शा में अंकित सीमाओं की वास्तविकता का ज्ञान होगा जिससे प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके। प्रार्थी का कब्जा काश्त खरीद के समय से ही अपनी हिस्से की भूमि पर पर कब्जा काश्त है मौके पर प्रार्थी के पास चारों तरफ सीमाये कायम है अप्रार्थी संख्या 1 का का कब्जा काश्त मौके पर सड़क के दक्षिणी तरफ है जिसकी वास्तविकता का ज्ञान मौके की स्थिति मंगवाये जाने पर ही ज्ञात होगी इसलिए मौके की रिपोर्ट मंगवाई जानी आवश्यक है एवं उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में दर्ज खसरानो की मौके की स्थिति तहसीलदार द्वारा मंगवाई जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 पर अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि खसरा नंबर 1287/1281 तादादी 0.3800 हैक्टेयर रोही दुकरियासर सड़क सरदारशहर श्रीडूंगरगढ की उत्तरी तरफ स्थित है, तहसीलदार श्रीडूंगरगढ के आदेश पर हल्का पटवारी द्वारा खसरा नंबर 1287/1281 का सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा करवाया गया। वादी द्वारा अपनी जमीन भू-रूपान्तरण आद्यौगिक प्रयोजनार्थ करवाया गया तो सड़क कानून के मुताबिक राज्य सड़क के दोनो तरफ सड़क के मध्य से 35-35 मीटर सड़क छोडना जरूरी होता है जबकि कृषि भूमि में ऐसा नियम नहीं है, वादीगण को सड़क कांग्रेस के नियमों के कारण अपनी जमीन में से कुछ जमीन समर्पण करना पडा जिसकी पूर्ति वादी/प्रार्थी मुझ अप्रार्थी की जमीन में से करना चाहता है। तहसीलदार के आदेश पर पटवारी हल्का द्वारा मुझ अप्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1287/1281 का सीमाज्ञान करवाया गया परन्तु वादी/प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान को मानने से इंकार कर रहा है। सड़क से उत्तरी व दक्षिण तरफ के रकबा

3  
उपरोक्त आदेश  
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)



को जानना हस्तगत प्रकरण से कतई सुरांगत नहीं है। प्रार्थी/वादी को तो अपने एकमात्र से ही मतलब है। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने मात्र से मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना कतई युक्तियुक्त व जरूरी नहीं है। अगर न्यायालय के अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई पक्ष उल्लंघन करता है तो उसके लिए न्यायालय अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है उसके लिए मौका रिपोर्ट कतई सुरांगत व आवश्यक नहीं है। प्रार्थी ने अपनी जमीन का औद्योगिक भू-रूपान्तरण करवा रखा है। प्रार्थी ने जब अपनी खातेदारी भूमि 1286/1281 में से 1820 वर्गमीटर भूमि का भू-रूपान्तरण करवाया तो प्रार्थी के खसरा नंबर 1286/1281 के उत्तर में कुछ अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1287/1281 दशाई हुई है जो बिल्कुल स्पष्ट है इसलिए मौका रिपोर्ट की कतई जरूरत नहीं है। जब प्रार्थी का खरीद के समय से ही अपनी जमीन पर काबिज है तथा मौके पर चारों सीमाएं कायम है तो हस्तगत प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य ही नहीं है। प्रार्थी/वादी को अपना पक्ष या मामला स्वयं साबित करना होता है। वादी अपने मामले को साबित करने हेतु न्यायालय का सहारा नहीं ले सकता। प्रार्थी हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित करना चाहता है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रार्थी ने मामले में पेचिदगिया पैदा करने की बदनियत से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ले रखी है। अब प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली में बहस नहीं करना चाहता और इसी बदनियत से प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायिक दृष्टान्त 2008(3)DNJ(RAJ.) पृष्ठ संख्या 1506 से 1509 पेश की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर अपनी बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया।


अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 621 तादादी 1.2100 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम थी, जिसमें से अप्रार्थी संख्या 1 ने 0.2600 हैक्टेयर भूमि मो. युसुफ पुत्र फकीर मोहम्मद जाति तंवर निवासी श्रीडूंगरगढ़ को विक्रय की, जिसके खसरा नम्बर 1280/621 हो गये तथा खसरा नम्बर 621 की 0.5700 हैक्टेयर भूमि अब्दुल गफूर पुत्र हाजी अब्दुल गनी जाति खोकर निवासी श्रीडूंगरगढ़ को विक्रय की, जिसके खसरा नम्बर 1286/1281 हो गये। खसरा नम्बर 621 की शेष भूमि 0.3800 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पास रही जो अप्रार्थी संख्या 1 के पास ही है, जिसके खसरा नम्बर 1287/1281 है। अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थीगण ने कोई जमीन नहीं खरीदी, ना ही अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को मौके पर कब्जा ही सौपा। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 1287/1281 सड़क श्रीडूंगरगढ़ से सरदारशहर के उत्तर में स्थित प्रार्थीगण की जमीन के उत्तर में है। अप्रार्थी संख्या 1 की 0.3800 हैक्टेयर भूमि जिसके खसरा नम्बर 1287/1281 है, सड़क के उत्तर की ओर स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की 3.700 हैक्टेयर भूमि जिसके खसरा नम्बर 631 है, वह सड़क के दक्षिण तरफ स्थित है। खसरा नम्बर 631 व खसरा नम्बर 1287/1281 मौके पर अलग-अलग है। खसरा नम्बर 631 व 1287/1281 के बीच सड़क श्रीडूंगरगढ़ से सरदारशहर व प्रार्थीगण की जमीन स्थित है, सड़क के उत्तरी की तरफ ही खसरा नम्बर 621 स्थित था, प्रार्थीगण अपने नाम जिस भूमि का उल्लेख कर रहे हैं, वह भी खसरा नम्बर 621 का ही भाग थी। प्रार्थीगण ने अपनी खरीदशुदा भूमि में से कुछ

3

उपरोक्त अधिवक्ता  
श्रीडूंगरगढ़ (सिकंदर)




भूमि का भू-रूपान्तरण भी करता दिया। प्रार्थीगण ने जब अपनी भूमि का भू-रूपान्तरण करवाया तो सड़क कांसेस के नियमानुसार प्रार्थीगण की कुछ जमीन का समर्पण करना पड़ा क्योंकि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण करवाने हेतु सड़क के मध्य 35 मीटर जमीन छोड़ना आवश्यक होता है। प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 1287/621 तादादी 0.3800 हैक्टेयर को हड़पना चाहते हैं, इसी बदनियति से प्रार्थीगण ये प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण की भूमि के मूल खसरा नम्बर 621 ही थे, खसरा नम्बर 621 सड़क से उत्तरी तरफ स्थित था, इस खसरा की 0.8300 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने विक्रय कर दी थी, फिर तीन चार बार विक्रय होते होते प्रार्थीगण ने खरीद ली, इस खसरा की शेष भूमि 0.3800 हैक्टेयर भूमि आज भी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जा काशत की भूमि है, जो सड़क के उत्तरी तरफ स्थित प्रार्थीगण के खेत के उत्तर में स्थित है, जिसके खसरा नम्बर 1287/1281 है। प्रार्थना पत्र की गद संख्या 6 में वर्णित तथ्य गलत दर्ज करवाये होने से स्वीकार नहीं, इन्कार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जा काशत की भूमि खसरा नम्बर 1287/1281 सड़क से उत्तरी तरफ स्थित है। सड़क व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के बीच प्रार्थीगण की भूमि है। चूंकि प्रार्थीगण ने कुछ भूमि का भू-रूपान्तरण करवाया और सड़क कांसेस के नियमों के मुताबिक भू-रूपान्तरण करने हेतु प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में से कुछ भूमि त्याग करनी पड़ी, जिसको प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से करना चाहते हैं, अगर खसरा नम्बर 621 सड़क के उत्तर में नहीं होती तो प्रार्थीगण की भूमि भी सड़क के उत्तर में नहीं होती, प्रार्थीगण की भूमि के भी मूल खसरा नम्बर 621 है तथा मुझ अप्रार्थी के खसरा नम्बर 1287/1281 के मूल खसरा नम्बर 621 ही है। सड़क के दक्षिण तरफ मुझ अप्रार्थी की 4.0800 हैक्टेयर भूमि ना होकर 3.7000 हैक्टेयर भूमि है, जिसके खसरा नम्बर 631 है। खसरा नम्बर 1287/1281 जिसका मूल खसरा नम्बर 621 है, सड़क के उत्तर की ओर स्थित है, इसलिये इस खसरा की जमीन खसरा नम्बर 631 में समायोजित नहीं हो सकती, ना की जा सकती है। मुझ अप्रार्थी की सड़क के उत्तरी तरफ 1.2100 हैक्टेयर भूमि थी, जिसमें से मुझ अप्रार्थी द्वारा 0.2600 हैक्टेयर भूमि मो. युसुफ पुत्र फकीर मोहम्मद तंवर निवासी श्रीडूंगरगढ़ व 0.5700 हैक्टेयर भूमि अब्दुल गफूर पुत्र हाजी अब्दुल गनी जाति खोकर निवासी श्रीडूंगरगढ़ को विक्रय कर दी। इस खसरा की शेष 0.3800 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी के पास रही, जिसके खसरा 1287/1281 हो गये। खसरा नम्बर 1287/1281 तादादी 0.3800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 631 तादादी 6.700 हैक्टेयर रोही टुकरियासर पर मौके पर कब्जा काशत के अनुसार सही जगह तरमीम है। सड़क के उत्तर में मुझ अप्रार्थी की 0.3800 हैक्टेयर भूमि है, जिसके खसरा नम्बर 1287/1281 है तथा 3.70 हैक्टेयर भूमि सड़क के दक्षिण तरफ है, जिसके खसरा नम्बर 631 है। खसरा नम्बर 1287/1281 तथा खसरा नम्बर 631 अपनी-अपनी जगह सही रूप से कायम है तथा सही रूप से रेकार्ड में तरमीम है। प्रार्थी गलत रूप से ग्राम टुकरियासर की ही शांतिदेवी के भूखण्डों पर भी कब्जा कर लिया, जिसका मुकदमा सिविल न्यायालय में चला जो हस्तगत प्रार्थना पत्र के प्रार्थी गणपतराम के विरुद्ध निर्णित हुआ। मुझ अप्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 631 तादादी 3.700 हैक्टेयर सड़क के दक्षिण में है तथा प्रार्थीगण की भूमि सड़क के उत्तर में है तथा प्रार्थीगण के उत्तर में मुझ अप्रार्थी की जमीन खसरा नम्बर 1287/1281 तादादी 0.3800 हैक्टेयर है। प्रार्थीगण व मुझ अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1287/1281 के बीच सीमाबन्दी के रूप में तारपट्टी की हुई है। प्रार्थी गणपतराम ने तो गांव टुकरियासर की शांतिदेवी की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। अप्रार्थी



संख्या 1 द्वारा दिनांक 05.02.2024 तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश पर हल्का पटवारी तुकरियासर खसरा नम्बर 1287/1281 रकवा 0.3800 हैक्टेयर की सीमाज्ञान करने मौके पर गये और मौके पर जाकर गुरतकिल विन्दू निर्धारित कर सीमाज्ञान करवाया, मौके पर खेत पड़ोसी भी मौजूद रहे, परन्तु प्रार्थीगण पटवारी हल्का द्वारा किये सीमाज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे है। मुझ अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को कहा कि तहसील से दूवारा सीमाज्ञान करवा लो तो प्रार्थीगण द्वारा कहा गया कि हम सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते, हम तो अपने प्राईवेट आदमी से सीमाज्ञान करवायेगे तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कहा गया कि रेकार्ड तो पटवारी के पास होता है। प्राईवेट व्यक्ति कैसे सीमाज्ञान करवा सकता है तो प्रार्थीगण ने कहा कि हम ताकत के बल तुम्हारी जमीन ले लेगे। प्रार्थीगण ने मुझ अप्रार्थी की जमीन हड़पने की बदनियति से हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण की जमीन अलग है, मुझ अप्रार्थी की जमीन खसरा नम्बर 1287/1281 तादादी 0.3800 हैक्टेयर प्रार्थीगण की जमीन से उत्तरी तरफ है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 1287/1281 के खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 26.03.2024 को प्रार्थीगण की मुझ अप्रार्थी से कोई बातचीत नहीं हुई। प्रार्थीगण को ना तो वादहेतु हासिल है, ना ही वादाधार ही हासिल है। प्रार्थीगण की जमीन अलग है व मुझ अप्रार्थी की जमीन के सीमाबन्दी में तारपट्टी लगी हुई है। प्रार्थीगण व मुझ अप्रार्थी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई तो प्रार्थीगण को धमकी देने व बेदखल करने व सींव तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ना ही प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। मुझ अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा नहीं किया जा रहा है, प्रार्थीगण व अप्रार्थी अपने-अपनी भूमि पर काबिज चले आ रहे है। वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र की आड़ में मुझ अप्रार्थी की भूमि को हड़प करना चाहते है। मुझ अप्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 621 तादादी 1.2100 हैक्टेयर रोही तुकरियासर सड़क श्रीडूंगरगढ़ से सरदारशहर से उत्तर की ओर स्थित रहा है। इस खसरा भूमि में से 0.2600 हैक्टेयर भूमि मुझ अप्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सन् 2009 में युसुफ तंवर को विक्रय कर दी जिसके खसरा नम्बर 1280/621 कायम हुये तथा खसरा नम्बर 621 की 0.5700 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अब्दुल गफूर को विक्रय कर दी जिसके खसरा नम्बर 1286/1281 कायम हुये तथा शेष 0.3800 हैक्टेयर भूमि मुझ अप्रार्थी के पास रही, जिसके खसरा नम्बर 1287/1281 कायम हुये। मुझ अप्रार्थी द्वारा युसुफ व अब्दुल गफूर को विक्रित जमीन आगे से आगे विक्रय होती रही और फिर प्रार्थीगण ने खरीद की। प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन के उत्तरी तरफ मुझ अप्रार्थी की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 1287/1281 तादादी 0.3800 हैक्टेयर है, जो सड़क से उत्तर में है तथा सड़क से दक्षिण मुझ अप्रार्थी की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 631 तादादी 3.700 हैक्टेयर भूमि है। मुझ अप्रार्थी की जमीन बिल्कुल सही जगह पर स्थित है तथा सही रूप से रेकार्ड मे तरमीम है। रेकार्ड को सही मानकर ही मुझ अप्रार्थी की जमीन खसरा नम्बर 1287/1281 तादादी 0.3800 हैक्टेयर का सीमाज्ञान हल्का पटवारी ने गांव के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थित में मुझ अप्रार्थी को करवाया गया था। प्रार्थीगण ने अपनी जमीन का भू-रूपान्तरण औद्योगिक प्रयोजनार्थ करवाया, औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने हेतु सड़क कानून मुताबिक राज्य सड़क दोनो तरफ 35-35 मीटर सड़क छोड़ना जरूरी है, जबकि कृषि भूमि में ऐसा नियम नहीं है, चूंकि प्रार्थीगण को भूमि रूपान्तरण करवाया इसलिये प्रार्थीगण ने सड़क कांग्रेस के नियमों के

3

उपरोक्त आदेश  
प्रार्थीगण के नाम




कारण अपनी जमीन में से कुछ जमीन का समर्पण करना पड़ा, प्रार्थीगण द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ समर्पित जमीन की पूर्ति मुझ अप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1287/1281 तादादी 0.3800 हैक्टियर में से करना चाहते हैं और इसी वदनिगति से प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य ना होकर काबिले खारिज है। प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आये हैं, जो व्यक्ति क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आये वो किरती प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण करवाने हेतु उनकी खातेदारी की कितनी जमीन छोड़ी पड़ी और इसी आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिले खारिज है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान, अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त 2021(1)डीएनजे (रेवन्यू) पृष्ठ संख्या 1 से 6 पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर गहन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजो एवं न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा द्वारा राइक के धिपती अपनी खातेदारी जमीन का भूरूपान्तरण करवा रखा है नवशा में कमी होती तो भू-रूपान्तरण के वक्त ही प्रार्थी/वादी नवशा दुरुरस्त करवाने की कार्यवाही करता या भू-रूपान्तरण के समय पटवारी तहसीलदार द्वारा आपति की जाती कि तरगीम दुरुरस्त नहीं है, इसलिये मौका स्थिति व तरमीम से मेल नहीं खाती है। ऐसी कोई रिपोर्ट या प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में PWD का हस्तगत दावा कार्यवाही से कोई हक निहित नहीं है, एवं पी. डब्ल्यू.डी उचित व आवश्यक पक्षकार नहीं है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी का खारिज किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में दर्ज खसरानों की मौके की स्थिति तहसीलदार द्वारा मंगवाई जाने के संबंध में प्रार्थी को अपना पक्ष या मामला स्वयं साबित करना होता है। वादी/प्रार्थी अपने मामले को साबित करने हेतु न्यायालय का सहारा नहीं ले सकता है। प्रार्थी हस्तगत प्रार्थना पत्र से साक्ष्य एकत्रित करना चाहता है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दावा में गुणावगुण पर तय किये जाने हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 1287/1281 जिसका मूल खसरा नंबर 621 है। अप्रार्थीगण संख्या 1 खेत खसरा नंबर 1287/1281 के रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अन्तरिम आदेश पारित करना उचित नहीं है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्ण्य क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बनना साबित नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो।  
आदेश सरे इजलास सुनाया गया।



उपस्थित (उमा मिश्रा) बगसे  
श्री इंद्रगणक (निकाय) के